



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062026-273353
CG-DL-E-11062026-273353

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2903]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 11, 2026/ज्येष्ठ 21, 1948

No. 2903]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 11, 2026/JYAISTHA 21, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
आदेश

नई दिल्ली, 10 जून, 2026

का.आ. 3001(अ).— आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण (पाइपलाइनों और अन्य सुविधाओं के विद्यमाने, निर्माण, संचालन और विस्तार के माध्यम से) आदेश, 2026 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्:

- (1) इस आदेश को प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण (पाइपलाइनों और अन्य सुविधाओं के विद्यमाने, निर्माण, संचालन और विस्तार के माध्यम से) द्वितीय संशोधन आदेश, 2026 कहा जाएगा।
(2) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- उक्त आदेश में, खंड 7 के तहत, उप-खंड (ख) में, निम्नलिखित को अंतर्स्थापित किया जाएगा:
“इस शर्त के अन्तर्गत कि इस तरह के संचार की आवश्यकता नहीं होगी जहां सीजीडी कंपनी ने अभिलेख अनुरक्षित किए हैं कि इसके द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से ऐसा नोटिस दिया है: (i) खंड 5 के उप-खंड (4) के तहत नोटिस, (ii) आवासीय क्षेत्र में निवासी कल्याण संघ, अपार्टमेंट मालिक संघ, सहकारी आवास समिति, सुविधा प्रबंधन एजेंसी या इसी तरह के संगठनों को, जिसे चाहे जो भी नाम दिया गया हो, सभी घरों को इसका प्रचार करने

के अनुरोध के साथ पहले ही लिखित संचार जारी किया गया है, (iii) किसी घर के प्रासंगिक पते को संबोधित करने के लिए दस्ती माध्यम से किया गया संचार, (iv) आवासीय सोसायटी, जिसमें आवासीय क्षेत्र में स्थित किसी परिवार के सुसंगत पता शामिल है, सहित आवासीय क्षेत्र में वितरित किए गए प्रासंगिक पते के साथ-साथ पोस्टर, फ़्लायर्स, पैम्फलेट या किसी अन्य प्रकार के हैंडआउट के रूप में नोटिस, या (v) टेक्स्ट संदेश या टेलीफोनिक रूप से या रिकॉर्ड की गई आवाज वाले संदेश द्वारा पहले ही नोटिस जारी किया गया है, कि प्रासंगिक पते पर एलपीजी की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी”

[फा. सं. एल- 16016/6/2026-जीपी-आई-भाग (1) (ई: 55758)]

विकास सिंह, निदेशक

नोट.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 1536(ई), दिनांक 24 मार्च, 2026 के माध्यम से प्रकाशित की गई थी और बाद में का. आ. 2193(ई), दिनांक 4 मई, 2026 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ORDER

New Delhi, the 10th June, 2026

S.O. 3001(E).— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Natural Gas and Petroleum Products Distribution (Through Laying, Building, Operation and Expansion of Pipelines and Other Facilities) Order, 2026, namely:—

- (1) This Order may be called the Natural Gas and Petroleum Products Distribution (Through Laying, Building, Operation and Expansion of Pipelines and Other Facilities) Second Amendment Order, 2026.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- In the said order, under clause 7, in sub-clause (b), the following shall be inserted:

“*provided that* such communication shall not be required where the CGD entity has maintained records that it has provided such notice in any of the following manner: (i) notice under sub-clause (4) of clause 5, (ii) written communication has already been issued to the residents welfare association, apartment owners association, cooperative housing society, facility management agency or similar organizations in the housing area, by whatever name called, with a request to publicize the same to all households, (iii) a communication has been delivered by hand to the address, (iv) notice in the form of posters, flyers, pamphlets or any other form of handout have been delivered to the relevant address as well as distributed within the housing area including the housing society, housing area where the relevant address of a household is situated, or (v) notice has already been issued by text message or telephonically or by recorded voice message, that supply of LPG to the relevant address shall be stopped.”

[F. No. L-16016/6/2026-GP-I-Part (1) (E: 55758)]

VIKAS SINGH, Director

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1536(E), dated the 24th March, 2026 and was subsequently amended vide number S.O. 2193(E), dated 4th May, 2026.